कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–1/824/2021/10–11/2556 भोपाल, दिनांक 23/06/2023

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली–110003

विषयः– **वन मंडल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के ग्राम–बण्डीखुर्द के वन कक्ष RF-833 & RF-834 के रकबा 36.734 हे. वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य का मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड के व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/29264/2017**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./8-196/1084-FC(Vol.) दिनांक 09/05/2022

---0---

विषयांकित प्रकरण में आपने संदर्भित पत्र दिनांक 09/05/2022 से 10 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। अतः चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>चाही गई जानकारी</th><th>प्रस्तुत जानकारी</th></tr>
<tr><td>i</td><td>The user agency has not submitted the status of compliance of conditions stipulated in earlier approval issued vide letter no. dated 8-196/1984_Fry (Cons) dated 15.12.1986. The same needs submission.</td><td>SECL द्वारा पत्र दिनांक 30/08/2022 से लेख किया गया है कि भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा लगाई गई शर्तो का पालन आवेदक आवेदक संस्था के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लगाई शर्तो का अद्यतन पालन प्रतिवेदन परिशिष्ट–1 पर संलग्न प्रस्तुत है।</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>The Cost Benefit analysis required to be revised as per the guidelines of the Ministry and keeping in view the revised rates of the NPV.</td><td>आवेदक संस्था प्रस्तुत Cost Benefit analysis रिपोर्ट परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>iii</td><td>As per DSS analysis it is reported that the calculated area of KML file of Mining lease in the instant project is 488.0391 Ha, whereas in Part-I of the application form on PARIVESH portal, 57.166 ha area is mentioned as Mining lease. This needs clarification</td><td>आवेदक संस्था द्वारा बंगवार भूमिगत खदान परियोजना के कुल क्षेत्रफल का प्रस्तुत किया गया विवरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>रकबा (हे. में)</th><th>वैधानिक स्वरूप</th><th>विशेष अभियुक्ति</th><th>कुल रकबा (हे. में)</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>315.347</td><td>वन (आरक्षित)</td><td>व्यपवर्तित</td><td rowspan="4">399.545</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>38.302</td><td>वन (आरक्षित)</td><td>व्यपवर्तित</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>36.734</td><td>वन (आरक्षित)</td><td>प्रस्तावित</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>9.162</td><td>वन (आरक्षित)</td><td>अव्यपवर्तित / आवश्यक नहीं</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>47.934</td><td>शासकीय+ निजी</td><td>अधिग्रहीत नहीं /आवश्यक नहीं</td><td rowspan="5">88.563</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>0.848</td><td>शासकीय+ निजी</td><td>अधिग्रहीत नहीं /आवश्यक नहीं</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>0.879</td><td>शासकीय+ निजी</td><td>अधिग्रहीत नहीं /आवश्यक नहीं</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>20.432</td><td>शासकीय+ निजी</td><td>अधिग्रहीत</td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>18.470</td><td>शासकीय+ निजी</td><td>अधिग्रहीत</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>488.108</td><td></td><td></td><td>488.108</td></tr>
</table>
इस प्रकार वास्तविक क्षेत्रफल 488.039 हेक्टेयर के स्थान पर 488.108 हेक्टेयर पढ़ा जावे।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
उपरोक्त में से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-196/84-fry(cons) दिनांक 15.12.1986 के अनुसार कुल 315.347 हेक्टेयर क्षेत्रफल में भूमिगत खदान संचालित है।
वर्तमान में खदान के विस्तारीकरण के लिये उपरोक्त भूमिगत परियोजना से लगे हुये वन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये निम्नानुसार आवेदित क्षेत्रफल प्रस्तावित है जो कि उपरोक्त तालिका के कालम में कालम क्रमांक–4 के क्रमांक (iii) व (viii) में दर्शित है, जो कि निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>क्षेत्रफल (हे. में)</th><th>वैधानिक स्वरूप</th><th>विशेष अभियुक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>36.734</td><td>वन (आरक्षित)</td><td>प्रस्तावित / आवेदित</td></tr>
<tr><td>2</td><td>20.432</td><td>शासकीय+ निजी</td><td>अधिग्रहीत है।</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>57.166</td><td></td><td></td></tr>
</table>
उपरोक्त 488.108 हेक्टेयर में से बिन्दु क्रमांक (vi) 9.162 हेक्टेयर बिन्दु क्रमांक (v) 47.934 हेक्टेयर बिन्दु क्रमांक (vi) 0.848 हेक्टेयर, बिन्दु क्रमांक (vii) 0.879 हेक्टेयर कुल 58.823 हेक्टेयर भूमि पर वर्तमान तकनीकी पद्धति से कार्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात 429.285 हेक्टेयर भूमि पर खदान का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>iv</td>
<td>As per DSS analysis it is reported that the Achanakmar-Bandhavgarh Tiger corridor is located at a distance of 9.26 Km from the proposed area under diversion and 8.85 Km from the mine lease boundary. Hence the comments of CWLW are required to be submitted.</td>
<td>इस बिन्दु के संबंध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त खदान से बांधवगढ़–अचानकमार टाइगर रिजर्व कॉरीडोर की दूरी 9.352 कि.मी. पायी गई है । अतः प्रकरण में वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार करने एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु 07 शर्तो पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। सहमति टीप परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।</td>
</tr>
<tr>
<td>v</td>
<td>High resolution satellite imagery shows the presence of Agriculture land, Coal processing plant etc. within the Mine lease boundary which is also a Forest land. This needs clarification.</td>
<td>इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि व्यपवर्तित वन क्षेत्र तथा प्रस्तावित वन क्षेत्र के अन्दर कृषि भूमि एवं अन्य प्रसंस्करण संयंत्र आदि नहीं है।</td>
</tr>
<tr>
<td>vi</td>
<td>The user agency has not uploaded the KML file of 20.432 Ha non-forest Revenue land involved in the instant proposal on PARIVESH. The same is required for complete understanding of the present proposal.</td>
<td>गैरवनभूमि रकबा 20.432 हे. की KML File परिवेश पोर्टल पर प्रस्ताव में अपलोड कर दी गई है।</td>
</tr>
<tr>
<td>vii</td>
<td>The KML file of diverted forest land, Mine lease Boundary & CA stipulated in the earlier approval needs submission.</td>
<td>यह प्रस्ताव भूमिगत कोयला उत्खनन का होने के कारण क्षतिपूर्ति वनीकरण आवश्यक नहीं है।</td>
</tr>
</table>

viii	Copy of approved modified subsurface Mining Plan excluding the Kachhian Nallah area under the diversion of the mining along with progressive Mine Closure plan needs submission.	आवेदक संस्था प्रस्तुत स्वीकृत खनन योजना की प्रति तथा माईन क्लोजर प्लान परिशिष्ट–4 पर संलग्न है।
ix	The Copy of the detailed land use plan in 1:4,000 scale prepared by using GPS or Total Station survey is not legible. The legible copy of same shall be uploaded on PARIVESH.	लैण्ड यूज प्लान की प्रति पीडीएफ फाईल ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है।
x	The extant project though proposes mining by Under Ground methods, has significant impacts on surface. Maximum subsidence up to 5.68 m has been reported in the report which may have adverse impact on the above ground vegetation and hydrological regimes of the area. However, no studies to predict the impact of subsidence on vegetation and hydrological regimes are available in the proposal. This issues needs clarification.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्ताव में वनस्पति और जलविज्ञान व्यवस्था पर अवतलन के प्रभाव को देखते हुए वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि का भुगतान किये जाने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

अतः वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का पत्र दिनांक 27.08.2022 संलग्न कर प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

23/6/2023

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–1 / 824 / 2021 / 10–11 / 2557 भोपाल, दिनांक 23/06/2023

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्य प्रदेश ।
2 वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल, दक्षिण शहडोल, मध्य प्रदेश।
3 महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सोहागपुर क्षेत्र, पोस्ट धनपुरी जिला शहडोल मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

23/6/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल